रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 320] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 23, 1983/श्रावण 1, 1905
[No. 320] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 23, 1983/SRAVANA 1, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1983

का. आ. 519(अ).—उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विकास परिषद् (कार्यविधिक) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पढ़ते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अध्यक्ष, भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ (श्री एस. वी. मूर्ब्बैया) को भारत सरकार, भारी उद्योग विभाग के आदेश दिनांक 21 जुलाई 1982 द्वारा गठित की गई भारी वैद्युत और सम्बद्ध उद्योगों की विकास परिषद् का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं. ई.ई आई.-19 (38)/81]
मुनीश गुप्त, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1983

S.O. 519(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 4 & 5 of the Development Council (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby appoints the President, Association of Indian Engineering Industry, (Shri M. V. Subbiah) as Vice-Chairman of the Development Council for Heavy Electrical and Allied Industries constituted by the order of the Government of India in the Department of Heavy Industry order dated the 21st July, 1982.

[No. EEI-19(38)|81]

M. C. GUPTA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983